हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.) – 491001
Email:, Website: www.durguniversity.ac.in, Phone - 0788-2359400

क्रमांक 238/अका./शोध/2019 दुर्ग, दिनांक 20/05/2019

//निर्देश//

(शोध केन्द्र/शोध निर्देशक)

विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक–45 के नियमानुसार एवं विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 224/अका./शोध/2019, दुर्ग, दिनांक 12/04/2019 और समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेशों/नियमों के प्रावधान अनुसार समस्त शोध केन्द्र/शोध निर्देशक को स्पष्ट रूप से यह निर्देशित किया जाता है कि –

1. समस्त शोध निर्देशक/शोध केन्द्र अध्यादेश क्रमांक–45 का अध्ययन अनिवार्य रूप से करे ।
2. शोध निर्देशक अनिवार्य रूप से पी–एच.डी. शोध निर्देशन हेतु रिक्त स्थान की सही जानकारी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप अनुसार कम्प्यूटराईज कॉपी पी–एच.डी. सेल में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।
3. ऐसे शोध निर्देशक जो शोध केन्द्र में पदस्थ नहीं है, उनके अधीन शोध छात्र का पंजीयन शोध निर्देशक के नजदीकी शोध केन्द्र में किया जावेगा तथा शोधार्थी को शोध केन्द्र में एक सह–निर्देशक लेना होगा ।
4. शोध निर्देशक अध्यादेश–45 एवं उपर्युक्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रानुसार ही पी–एच.डी. शोधार्थियों को अपने अंदर शोध कार्य हेतु अनुमति देवें। पात्रता से अधिक व नियम विरूद्ध स्थिति में संबंधित शोध निर्देशक के मान्यता के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जावेगीं ।
5. शोध केन्द्र चयनित अभ्यर्थियों को DRC तिथि की सूचना एवं मूल दस्तावेजो के परीक्षण कराने की जानकारी अनिवार्य रूप से देवें ।
6. पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा के पश्चात् अध्यादेश–45 के प्रावधानुसार योग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु विभागीय शोध समिति (DRC) कराये जाने विश्वविद्यालय द्वारा तिथि निर्धारित की जावेगी उक्त तिथि के अंदर सम्पन्न DRC ही मान्य किय जाएगा ।
7. विभागीय शोध समिति अभ्यर्थियों के DRC में चयन के पूर्व निम्न दस्तावेजों की जांच अनिवार्य रूप से करें –

1. 10th, 12th, स्नातक तथा स्नातकोत्तर के प्रत्येक वर्ष की अंक सूची) ।	5. पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण/पी–एच.डी प्रवेश परीक्षा से छूट प्रमाण पत्र ।
2. एम.फिल अंक सूची ।	6. जाति प्रमाण पत्र
3. गेप सर्टिफिकेट	7. आधार कार्ड ।
4. पात्रता (Eligibility) प्रमाण पत्र । (कंडिका 13 अनुसार)	8. अनुमति प्रमाणपत्र (NOC) (यदि शासकीय/ अशासकीय संस्था में कार्यरत हो)
9. विश्वविद्यालय का नामांकन (Enrollment) प्रमाण पत्र (चयन के बाद 7 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से लिया जावे)	

8. विभागीय शोध समिति अभ्यर्थियों के अपूर्ण एवं अधूरे दस्तावेजो/अंकसूचियों पर विचार न करें ।
9. विभागीय शोध उपाधी समिति पी–एच.डी. कोर्सवर्क परीक्षा से छूट हेतु मान्य करने के पूर्व अभ्यर्थी के एम.फिल की अंकसूची में Research Methodology अनिवार्य विषय के रूप में है या नही इसकी जॉच कर लेवें ।

10. विभागीय शोध समिति (DRC) सम्पन्न होने के 2 दिवस के अंदर चयनित शोधार्थी/कोर्स वर्क परीक्षा से छूट शोधार्थियों की सूची विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप अनुसार अकादमिक विभाग (पी–एच.डी. सेल) में जमा कराना अनिवार्य होगा ।

11. पी.एच.डी. कोर्स वर्क अध्ययन समय सीमा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित DRC अंतिम तिथि से छः माह की होगी तद्पश्चात् कोर्सवर्क परीक्षा आयोजित की जावेगीं।

12. विश्वविद्यालय नियमानुसार अन्य पाठ्यक्रमो के अनुसार ही पी–एच.डी. कोर्सवर्क शोधार्थियों की उपस्थिति शोध केन्द्रों में 75% होना अनिवार्य है ।

13. समस्त शोध केन्द्रों में कोर्सवर्क कर रहे छात्र/छात्राओं की उपस्थिति की जानकारी प्रत्येक माह की अंतिम तिथि में प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कराकर सहायक कुलसचिव, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा ।

14. छत्तीसगढ़ के राजकीय विश्वविद्यालय को छोड़ कर अन्य सभी विश्वविद्यालय से अध्ययन कर आये अभ्यर्थियों से पात्रता प्रमाण पत्र शोध केन्द्र में प्रवेश के पूर्व अनिवार्य रूप से लेवें ।

15. विभागीय शोध समिति की अनुशंसा उपरांत शोधार्थी को 07 दिवस के अंदर नियमानुसार कंडिका 6 में दर्शित दस्तावेजो सहित निर्धारित शुल्क जमा कर शोध केन्द्र में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

16. समस्त शोध केन्द्र विश्वविद्यालय द्वारा जारी समय–समय पी–एच.डी. शोध कार्य से संबंधित सूचना नोटिस बोर्ड पर जारी करें एवं शोधार्थियों को सूचना से अवगत करायें ।

17. महाविद्यालीयन शोध केन्द्रों में अध्ययनरत शोधार्थियों द्वारा छःमाही शोध शुल्क (प्रयोगशाला वाले विषय–7500/- एवं बिना प्रयोगशाले विषय 5000/- अनुसार) का 50% राशि शोध केन्द्र में तथा 50% विश्वविद्यालय में देय होगा। सभी छःमाही शुल्क छःमाही अवधि के प्रारंभ में जमा किया जाना है ।

नोट :–उपरोक्त दर्शित कंडिका अनुसार एवं पी–एच.डी. से संबंधित अध्यादेश क्रमांक–45 और समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेशों/नियमों/निर्देशो/सूचनाओं का पालन न करने की स्थिति में संबंधित शोध केन्द्र/शोध निर्देशक पर कार्यवाही की जावेगी जिसके लिए संबंधित शोध केन्द्र/शोध निर्देशक स्वयं जिम्मेदार रहेंगे ।

कुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

पृ. क्रमांक 239/अका./शोध./2019 दुर्ग, दिनांक 20/05/2019

प्रतिलिपि :–

1. प्राचार्य, समस्त शोध केन्द्र, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. समस्त शोध निर्देशक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ ।
3. कुलपति के निज सहायक/कुलसचिव के निज सहायक हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. वि.वि. वेबसाईट प्रभारी, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) की वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने सूचनार्थ ।

सहायक कुलसचिव अका.
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)